संख्या-11/2015/2340/26-3-2014-10(12)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 [redacted] मार्च,2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम-मुर्तजापुर (मानापुर) में कक्षा 01 से 12 तक के 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) की स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--959-60/स0क0/विकास/2013-14 दिनांक [redacted]3.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम-मुर्तजापुर (मानापुर) में कक्षा 01 से 12 तक के 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) की स्थापना /भवन निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू01264.92 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 316.23 लाख (रूपये तीन करोड़ सोलह लाख तेइस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0(अनुबंध)करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी। उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना की लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों का यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें। उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।

(3) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/ कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त प्रायोजना के लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार / क्षेत्रफल में वृद्धि, अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा एवं प्रायोजना का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(6) उक्त प्रायोजना में प्रस्तावित वाट आउट आइटम्स् का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन के अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(7) प्रश्नगत प्रायोजना में कतिपय ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में सम्मिलित नही है। उनकी लागत का आंकलन बाजार दर/कोटेशन के आधार पर किया गया है।

उक्त ऐसी मदों को बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय मदों पर न्यून्तम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के सम्पादित कराये जाय। क्योकि इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(8) प्रश्नगत प्रायोजना के भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये स्तर से ही कच्चा नाला निकलता है। अतः बरसात में जलभाराव को दृष्टिगत रखते हुए एक अतिरिक्त ऊचाई का प्राविधान आगणन किया गया हैं। जिसके दृष्टिगत एक अतिरिक्त ऊचाई को अनुमन्य कर दिया गया हैं।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-538/दस-2015, दिनांक 26 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-11/2015/2340(1)/26-3-2014 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,,इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी,सीतापुर
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर /वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण,उ0प्र0 शासन।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0
8- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, जनपद सीतापुर इकाई।
9- निदेशक, एन0आई0सी0/गार्ड फाइल/ इन्टरनेट प्रति

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

[redacted]

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।